वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-220 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं, रीको या अन्य निजी विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और इस शर्त पर प्रतिफल की रकम का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में क्रमशः 2 प्रतिशत और निम्न आय समूह के मामले में 3.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा कि निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय इकाइयों के आवंटन की दशा में आवंटिती, आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय,-

(i) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन अनुमोदित स्कीम के नक्शे की प्रतियां; और

(ii) विकास प्रधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं या, यथास्थिति, रीको द्वारा अनुमोदित समस्त आवंटितियों की सूची;

प्रस्तुत करेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-220 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of lease or sale of dwelling unit executed by the Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts, Municipalities, RIICO or any Private Developers under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 in favour of the eligible persons shall be reduced and charged at the rate of 2% in case of Economically Weaker Section and 3.5% in case of Low Income Group respectively, of the amount of consideration on the condition that in case of allotment of dwelling units by private developer, the allottee, at the time of registration of deed of lease or sale of dwelling unit shall submit,-

(i) the copies of the map of the scheme approved under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015; and
(ii) list of all allottees approved by Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts, Municipalities or RIICO, as the case may be.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-113]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government